(5)

अनुसूची 14– फारम सं. 612 आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी.....संख्या.....10 / 17–18

केश का प्रकार :– **श्री राम एकवाल महतो, पंचायत सेवक, प्रखण्ड–बाबूबरही (तत्कालीन) सम्प्रति प्रखण्ड कार्यालय, मधवापुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन।**

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
03-02-18	जिला पदाधिकारी, मधुबनी का आदेश ज्ञापांक–945 / जि0पंचा0 दिनांक–12.08.2017 द्वारा श्री राम एकवाल महतो, पंचायत सेवक, प्रखण्ड–बाबूबरही (तत्कालीन) सम्प्रति प्रखण्ड कार्यालय, मधवापुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मधुबनी को संचालन पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया था। परन्तु भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मधुबनी द्वारा बिना विभागीय कार्यवाही संचालित किये ही अभिलेख जिला पंचायत पदाधिकारी, मधुबनी को वापस लौटाया गया। वैसी स्थिति में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत आरोप पत्र के आलोक में श्री महतो के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन हेतु अपर समाहर्ता, मधुबनी को संचालन पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही को उपस्थापन पदाधिकारी नामित करते हुए जॉच प्रतिवेदन / अधिगम अभिलेखबद्ध कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। आरोपी कर्मी को प्रपत्र–''क''की प्रति भेजते हुये उनसे प्राप्त पक्ष की जॉच की गयी। अधिगम / जॉच प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:– **प्रपत्र–''क''में गठित आरोप संख्या–01:–** **अभिलेख में अभिलिखित स्थल से भिन्न स्थल पर चापाकल का गाड़ा जानाः–** ग्राम पंचायत राज–धमौरा के अन्तर्गत चापाकल के निमित संधारित योजनाओं के अभिलेख संख्या–25 / 06–07 में चापाकल गड़ाई का स्थल श्री राज कुमार मंडल के घर के निकट अभिलिखित है परन्तु जॉच के क्रम में चापाकल उक्त स्थल से भिन्न स्थल यथा श्री नसीर मियॉ पे0 श्री सुटाई मियॉ के घर के निकट गाड़ा हुआ पाया गया। आपके द्वारा चापाकल गाड़ने के क्रम में किये गये स्थल परिवर्तन से संबंधित सुधार अभिलेख में नहीं किया गया। फलस्वरूप अभिलेख में अभिलिखित स्थल से भिन्न स्थल पर चापाकल का गाड़ा हुआ पाया जाना आपके द्वारा कर्त्तव्य में बरती गई लापरवाही का द्योतक है। **आरोपी कर्मी का आरोप संख्या–01 पर स्पष्टीकरणः–** योजना अभिलेख संख्या–25 / 06–07 के संबंध में कहना है कि राज कुमार मंडल के घर के निकट चापाकल गाड़ा जाना था जो चापाकल मिस्त्री के भुल के कारण नसीम मियॉ के घर के निकट गाड़ दिा गया था जिसे बाद में सुधार कर श्री राज कुमार मंडल के घर के निकट गाड़ दिया गया है। गाड़े गये चापाकल की फोटो एवं जनता द्वारा दी गयी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न। **स्पष्टीकरण पर उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्यः–** स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है। भविष्य के लिए चेतावनी दी जा सकती है क्योंकि बाद में इनके द्वारा सुधार किया गया है। आरोपी कर्मी का आपत्तिः– योजना संख्या–25 / 06–07 ग्राम पंचायत राज धमौरा में चापाकल गराई संबंधी योजना के अभिकर्ता वे नहीं थे। इस योजना के अभिकर्ता श्री लाल यादव, लाभान्वित सचिव थे जिनके द्वारा राजकुमार मंडल घर के निकट	

चापाकल गाड़ा गया। योजना के कार्यान्वन में मेरी कोई भूमिका नहीं थी इसलिए आरोप से मुक्त किया जाय।

प्रपत्र–"क"में गठित आरोप संख्या–02:–

सरकारी राशि का दुरूपयोगः–

योजना संख्या–27/06–07 धमौरा कालीमंदिर में चापाकल में निर्माण के जॉच के क्रम में चापाकल अभिलेख में अभिलिखित स्थल पर गाड़ा हुआ पाया गया परन्तु कुछ ही दिनों के बाद यह चापाकल खराब हो गया। इस प्रकार इस चापाकल में घटिया सामग्री का उपयोग परिलक्षित होता है , जो सरकारी राशि के दुरूपयोग को उजागर करता है। योजना का अभिकर्त्ता आप हैं, अतः इसके लिए आप दोषी हैं।

स्पष्टीकरण पर उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्यः–

स्पष्टीकरण संतोषप्रद है।

आरोपी कर्मी का आरोप संख्या–02पर स्पष्टीकरणः–

योजना अभिलेख संख्या–27/06–07 के अभिकर्त्ता श्री लाल यादव द्वारा चापाकल का निर्माण कार्य किया गया, जहॉ तक उनके द्वारा भुगतान का प्रश्न है, वह भुगतान प्रखण्ड कनीय अभियंता के गुनवता एवं चापाकल की मांपी पर ही भुगतान किया गया। जहॉ तक चापाकल बंद का प्रश्न है वह आज की तिथि में भी पानी दे रहा है जिसकी जॉच करायी जा सकती है।

प्रपत्र–"क"में गठित आरोप संख्या–03:–

सरकारी राशि का दुरूपयोगः–

योजना संख्या–18/06–07 धमौरा राजेन्द्र राय घर के निकट चापाकल मरम्मती का कार्य, की जॉच के क्रम में चापाकल अभिलेख में अभिलिखित स्थल पर गाड़ा हुआ पाया गया परन्तु कुछ ही दिनों के बाद इस चापाकल से पानी आना बंद हो गया। इस प्रकार उक्त चापाकल में घटिया सामग्री का उपयोग परिलक्षित होता है, जो सरकारी राशि के दुरूपयोग को उजागर करता है। इसके लिए आप दोषी हैं।

आरोपी कर्मी का आरोप संख्या–03 पर स्पष्टीकरणः–

आरोप संख्या–03 उनके कार्यकाल से पूर्व का है।

स्पष्टीकरण पर उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्यः–

स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है।

प्रपत्र–"क"में गठित आरोप संख्या–04:–

सरकारी राशि का दुरूपयोगः–

योजना संख्या–07/06–07 मोगलाहा भुटकुन राय के घर के निकट चापाकल निर्माण की जॉच के क्रम में चापाकल अभिलेख में अभिलिखित स्थल पर गाड़ा हुआ पाया गया परन्तु कुछ ही दिनों के बाद इस चापाकल से पानी आना बंद हो गया। इस प्रकार उक्त चापाकल में घटिया सामग्री का उपयोग परिलक्षित होता है, जो सरकारी राशि के दुरूपयोग को उजागर करता है। इसके लिए आप दोषी हैं।

आरोपी कर्मी का आरोप संख्या–04 पर स्पष्टीकरणः–

आरोप संख्या–04 उनके कार्यकाल से पूर्व का है।

प्रपत्र–"क" में लगाये गये आरोपों से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

स्पष्टीकरण पर उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्यः–

स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है।

संचालन पदाधिकारी का अधिगमः–

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी कर्मी के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता,सदर मधुबनी ने भी विभागीय कार्यवाही का संचालन किया था किन्तु संचालन पूर्ण नहीं हो सका। इसे अपर समाहर्ता के संचालन हेतु हस्तान्तरित किया गया।

अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों में उप विकास आयुक्त, मधुबनी के पत्रांक–71/गो0दिनांक–19.05.2010 द्वारा श्री राज कुमार मंडल, वार्ड सदस्य, धमौरा पंचायत, बाबूबरही एवं अन्य द्वारा धमौरा पंचायत के संबंध में दिये गये आवेदन पत्र पर माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के पृष्ठांकित आदेश के आलोक में दिनांक–12.05.2010 को आरोपों की जॉच

कर प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी,मधुबनी को समर्पित किया गया जिसकी छाया प्रति प्रपत्र–क में साक्ष्य के रूप में संलग्न है। उप विकास आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि तत्कालीन पंचायत सचिव, श्री रामएकवाल महतो द्वारा अभिलेख में सुधार नहीं किया गया। चापाकल गाड़ने में अनियमितता हुयी जिसके लिए मुखिया एवं तत्कालीन पंचायत सचिव को उप विकास आयुक्त मधुबनी ने अपने जॉच में दोषी पाया जिसके आधार पर आरोपी कर्मी के विरूद्ध प्रपत्र–क में आरोप पत्र गठित किया गया। आरोपी कर्मी ने अपने स्पष्टीकरण में आरोप संख्या–1 पर अपना स्पष्टीकरण दिया है कि श्री राज कुमार मंडल के घर के निकट चापाकल गाड़ा जाना था जो चापाकल मिस्त्री के भूल के कारण नसीम मियॉ के घर के निकट गाड़ दिया गया था जिसे बाद में सुधार कर श्री राज कुमार मंडल के घर के निकट गाड़ दिया गया है। किन्तु उपस्थापन पदाधिकारी सह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही के मंतव्य पर इनकी आपत्ति है कि वे इस योजना के अभिकर्ता ही नहीं थे। उक्त चापाकल गाड़ने की योजना में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। इनके स्पष्टीकरण एवं आपत्ति आवेदन में विरोधाभास है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही द्वारा ही आरोपी कर्मी के विरूद्ध प्रपत्र–क में आरोप संख्या–01, 02, 03 एवं 04 गठित किया गया है। आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण पर उपस्थापन पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही का बिन्दुवार मंतव्य में **आरोप संख्या–01 में लिखा गया है कि आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। भविष्य के लिए चेतावनी दी जा सकती है क्योंकि बाद में इनके द्वारा सुधार किया गया है।** आरोप संख्या–02 को संतोषप्रद एवं 03 तथा 04 पर स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य उपस्थापन पदाधिकारी ने पाया है।

निष्कर्षः–

प्रपत्र–क में गठित आरोपों, आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण, उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य, आरोपी कर्मी का आपत्ति आवेदन, अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोप गठन के समय चयनित स्थल पर चापाकल नहीं गाड़ा गया। उपस्थापन पदाधिकारी के प्रतिवेदनानुसार बाद में इसे सुधार किया गया। ऐसी स्थिति में आरोपी कर्मी के विरूद्ध मात्र आरोप संख्या–01 प्रमाणित पाया गया। शेष आरोप संख्या–02, 03 एवं 04 आरोप प्रमाणित नहीं हो पाया।

मूल अभिलेख जिला पदाधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ उपस्थापित करने हेतु जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी को भेजें। पत्र की प्रति जिला पदाधिकारी महोदय को भी दें।

लेखापित

3/2/18

संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्ता, मधुबनी।

3/2/18

संचालन पदाधिकारी –सह–अपर समाहर्ता, मधुबनी